

भाकृअनुप- नार्म, हैदराबाद में कृषि अनुसंधान सेवा प्रशिक्षणार्थियों के
बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण अनुदेश एवं दिशानिर्देश

फा.सं 17-113/2023-कृ अनु से / प्र IV
दि. 5 जुलाई, 2023

1. वैज्ञानिक प्रशिक्षणार्थी को बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रथम दिन रिपोर्ट करना अनिवार्य है। किसी भी मामले में, कार्यग्रहण का समय बढ़ाया नहीं जायेगा।
2. आप सभी को सलाह दी जाती है कि फोकर्स प्रशिक्षण हेतु 18 जुलाई, 2023 (मंगलवार) को प्रातः 9.00 कार्यग्रहण करने हेतु 17 जुलाई, 2023 के शाम नार्म, हैदराबाद पहुँचने हेतु अपने दौरे की व्यवस्था कर ले।
3. पंजीकरण के समय, आपको निम्नांकित दस्तावेज जमा करना होगा। क
अ. भाकृअनुप व्दारा आपको जारी किए नियुक्ति आदेश की मूल प्रति.
आ. आधार कार्ड
इ. औपचारिकताएँ पूरी करने हेतु रु.100/- ब्लैक नॉन जुडिशियल स्टैप पेपर
ई. सत्यापन हेतु आपके सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित अनुप्रमाणित दस्तावेज
उ. छः पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
4. <https://naarm.org.in/focars/>. पर कृपया अपना जीवन वृत्त भरे। कृपया आप अपने एम.एससी/ पीएचडी थीसीस या डेजरटेशन एवं प्रकाशित शोध पत्र साथ लाएँ।
5. वैज्ञानिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान अपनी उपस्थिति एवं सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। प्रशिक्षण में क्षेत्र अनुभव प्रशिक्षण (फेट) सम्मिलित है, जिसमें अभ्यर्थियों को दूर स्थित गाँवों एवं फार्म का दौरा करना होगा।
6. गर्भवती महिलाओं को अपने किसी भी स्थिति के गर्भावस्था में फोकर्स प्रशिक्षण में सम्मिलित न होने की सलाह दी जाती है क्योंकि बुनियादी प्रशिक्षण में कृषि क्षेत्र अनुभव (फेट) समाहित है, जिसमें अभ्यर्थियों को दूर स्थित गाँवों एवं फार्म का दौरा करना होगा और भौतिक असुविधाओं का भी सामना करना पड सकता है। ऐसे प्रशिक्षणार्थी, भा.कृ.अनु प से प्रशिक्षण हेतु तदोपरांत तिथि के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

7. वैज्ञानिक प्रशिक्षु यह ध्यान रखें कि उन्हें योगा/ भौतिक प्रशिक्षण/ खेल कूद में शामिल होना अनिवार्य है।
8. बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से आवासीय कार्यक्रम है। सभी वैज्ञानिक प्रशिक्षणार्थी, फोकर्स प्रशिक्षण के दौरान नार्म के सिध्दार्थ हाल्स ऑफ रेसिडेन्स/ वैज्ञानिक आवास में रहेंगे, जिसके लिए नियमानुसार आवास एवं भोजन खर्च लिया जायेगा। जो नार्म में सीधे कार्यग्रहण करेंगे, उनके वेतन व्दारा इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी एवं अन्यो को इसका भुगतान अकादमी को करना होगा।
9. वैज्ञानिक प्रशिक्षणार्थियों को सलाह दी जाती है कि पूरे बुनियादी पाठ्यक्रम के दौरान अपने परिवार सदस्यों को ना लाएँ।
10. कृषि अनुसंधान सेवा वैज्ञानिक, जो फोकर्स हेतु नार्म में कार्यग्रहण करेंगे वे भाकृअनुप आदेशानुसार प्रशिक्षण अवधि के दौरान मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।
11. वैज्ञानिक प्रशिक्षु, प्रशिक्षणावधि के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित अवश्य करें, जो कि बुनियादी पाठ्यक्रम के सफल संपूर्ति का एक निर्यायक घटक होगा। बुनियादी पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें यह प्रतिज्ञा पत्र देना होगा कि वे कोई अर्जित छुट्टी नहीं लेंगे। किसी भी आपातकाल/ न्यायोचित कारणवश अधिकाधिक तीन दिन की आकस्मिक छुट्टी ले सकेंगे।
12. अपने संतुलित मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य के लिए सभी वैज्ञानिक प्रशिक्षुओं को नार्म खेलकूद कॉम्प्लेक्स का सदस्य होना आवश्यक है, दो माह के लिए रू.2000/- (केवल रूपये दो हजार/-) की राशि की कटौती, योगा एवं खेलकूद रखरखाव खर्च हेतु आपके वेतन से की जायेगी। खेलकूद संबंधी सभी आवश्यक सामग्री अकादमी व्दारा उपलब्ध की जायेगी।
13. किसी भी वैज्ञानिक प्रशिक्षु व्दारा पाठ्यक्रम निदेशक एवं संयुक्त निदेशक से लिखित अनुमति के बिना नगर बाह्य छुट्टि कदीपि नहीं ली जा सकेगी।
14. ऐसे वैज्ञानिक प्रशिक्षु, जिनकी फोकर्स प्रशिक्षण से पूर्व संस्थानों में तैनाती हो चुकी है तथा प्रशिक्षण के लिये आ रहे हैं, उन्हें नार्म से कार्यमुक्त होने पर 10 दिन का दौरा समय नहीं दिया जायेगा।
15. नार्म को सीधे रिपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक प्रशिक्षुओं को परिवहन भत्ता भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं दिया जायेगा।
16. प्रशिक्षणार्थियों व्दारा संकाय सदस्यों / अधिकारी / कर्मचारियों के विरुद्ध अश्लील भाषा का प्रयोग, छेड छाड या कक्षा में शोर शराबा करना इत्यादि उनकी अनुशासनहीनता मानी जायेगी। परिसर एवं कक्षा में किसी भी दुराचार के मामले में उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

17. कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षु, कैंटरिंग स्टाफ, अनुरक्षण स्टाफ या अन्य किसी स्टाफ (कर्मचारी) सदस्य से बहस और झगडा नही करेंगे। यदि किसी भी मामले में कोई विवाद होगा, तब मामला तुरंत पाठ्यक्रम निदेशक को सूचित किया जायेगा।

18. पाठ्यक्रम के दौरान परीक्षा/ मूल्यांकन में, वैज्ञानिक प्रशिक्षुओं से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की आशा की जाती है। यदि कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षणार्थी किसी कारणवश परीक्षा में अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अपनी कीमत पर अगले फोकर्स बैच के साथ परीक्षा देनी होगी।

19. परीक्षा में नकल (कॉपी) करना गंभीर मामला है। ऐसे किसी प्रकार के कदाचार में यदि कोई व्यक्ति पकडा जाता है, तब उन्हें परीक्षा से वंचित किया जायेगा एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मत कार्रवाई आरंभ की जायेगी।

20. यह अकादमी की प्रथा रही है कि वैज्ञानिक प्रशिक्षुओं का समूह चित्र यूनिफार्म (समान) पोषाक में लिया जाए। अतः आप सभी से आग्रह है कि सफेद शर्ट एवं काला पैंट (पुरुष वर्ग) तथा क्रिम रंग की साडी (महिला वर्ग) साथ लाएँ। टाई (पुरुष) एवं स्टोल (महिला) के लिए अकादमी व्दारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।

21. अकादमी, पंडित जयशंकर तेलंगाना विश्वविद्यालय वं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज (एनआईआरडी) राजेन्द्रनगर परिसर के पास स्थित है। यह हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद से 22 किमी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 25 किमी, हैदराबाद देकन (नामपल्ली) से 16 किमी, काचीगुडा रेलवे स्टेशन से 16 किमी, एवं इमलीबन या महात्मा गांधी बस स्थानक से 12 किमी दूरी पर स्थित है।

22. अकादमी तक पहुँचने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। हवाई अड्डा, रेलवे या बस स्थानक और नगर के किसी भी स्थान से ओला, उबर, मीरू या स्कैलॉब इत्यादि उपलब्ध होते हैं। कृषि महाविद्यालय एवं राजेन्द्रनगर, दोनों अकादमी से 1.5 किमी दूरी पर है। ऑटेरिकशा, राजेन्द्रनगर से नार्म छात्रावास (हॉस्टल) तक आप किराये पर ले सकते हैं। कृपया अन्य सूचना के लिए हमारे वेबसाईट @ <https://www.naarm.org.in> से संपर्क रखें।

➤ आप इस अकादमी में रहने पर, यह आपका पता होगा

आपका नाम


वैज्ञानिक प्रशिक्षु, 113 फोकर्स

भाकृअनुप - राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद 500030

दूरभाष 040-24581370/330 (नार्म हास्टल), फॉक्स 040-24015912/24581484

अन्य कोई सूचना, पाठ्यक्रम निदेशकों से प्राप्त की जा सकेगी।

यह, निदेशक, नार्म के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Handwritten signature and date in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'वि. वि. वि.' followed by a date '25.11.23'.

(विवेक पुरवार)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II)

**Important Instructions & Guidelines to
ARS Probationers during their Foundation Training Course at ICAR-NAARM, Hyderabad**

F. No.17-113/2023-ARS/AIV

Date: 05/07/2023

1. The Scientist-trainees shall report on the first day of the Foundation Course. **In no case, extension of joining time will be permitted.**
2. You are advised to plan your travel arrangements so as to reach NAARM, Hyderabad latest by the evening of 17th July 2023 to join the FOCARS on 18th July 2023 by 9.00 a.m. without fail.
3. At the time of registration, you have to submit the following:
 - a) Original copy of your appointment order issued by ICAR
 - b) Aadhaar Card
 - c) Non-judicial Stamp paper worth Rs.100/- for completing the bond formalities.
 - d) Attested copies of all certificates along with originals for verification
 - e) Six passport size photographs.
4. Please fill your bio-data at: <https://naarm.org.in/focars/>. Bring your M.Sc. / Ph.D. Thesis or Dissertation and published Research Papers.
5. The Scientist-trainees may note that the attendance and participation during all modules of training course is mandatory. The training entails "Field Experience Training" (FET) where candidates need to travel long distances to villages and farms.
6. *Female candidates in any stage of pregnancy are advised NOT to join the course as the FOCARS includes Field Experience Training which entails long travel to villages / farms and can cause physical hardship. They can request ICAR for joining the Course at a later date.*
7. Scientist-trainees may note that attending Yoga/Physical training/sports is **compulsory**.
8. Foundation Course is a full-time residential programme. The scientist-trainees would be staying in NAARM Siddharth Halls of Residence/Scientist Home during the entire duration of FOCARS for which boarding and lodging will be charged as per rules. For those scientist-trainees who join NAARM directly, the charges will be deducted from the salary whereas others will have to pay to the Academy.
9. The Scientist-trainees are advised **not to bring** their family members during the entire duration of Foundation Course.
10. ARS Scientists directly reporting to NAARM for FOCARS are not entitled to payment of HRA during the training period as per ICAR orders.
11. The Scientist-trainees must ensure full attendance during the period of training which will be the major deciding factor for successful completion of the Foundation Course. An undertaking has to be submitted to the effect that he/she will not avail any earned leave during the Foundation Course. The scientist-trainees may avail a maximum of three casual leaves during the period of training only on emergent/justifiable reasons.
12. To maintain good mental and physical health, all the scientist-trainees are required to become member of NAARM Sports Complex. An amount of Rs.2000/- (for 2 months) will be deducted from salary towards yoga and sports maintenance charges. All the necessary material for playing various games will be provided by the Academy to the scientist-trainees.

13. No Scientist-trainee shall go on outstation leave without prior written permission of the Course Directors & Joint Director.
14. Scientist-trainees who have been already posted at the institutes and then report for FOCARS are not entitled to 10 days travel time after relieving from NAARM.
15. Transport allowance to scientists directly reporting to NAARM for FOCARS will not be paid as per GOI rules.
16. Heckling, teasing, making noise in the class, using unparliamentary language by the scientist-trainees against faculty / officers / staff will be considered as gross indiscipline on the part of trainees. Necessary disciplinary action would be initiated in case of any misconduct in the classroom/campus.
17. No scientist-trainee shall argue and quarrel with catering staff, maintenance staff or any other staff members. If dispute arises on any issue, the same shall be brought to the notice of Course Director.
18. Scientist-trainees are expected to attend examination / evaluation during the course compulsorily. If any scientist-trainee is absent from attending examination on any pretext, he/she will be required to take up the same along with the next batch of FOCARS at their own cost.
19. Copying in the examination is considered a serious matter. If any person is involved in that malpractice, he/she will be debarred from examinations and disciplinary action shall be initiated.
20. It is the tradition of the Academy to have group photos in a uniform attire. Therefore, scientist-trainees are advised to bring white shirt & black pant (men) and cream-coloured saree (women). Tie (for men) and stole (for women) shall be provided by the Academy.
21. The Academy is located adjacent to the PJTS Agricultural University and National Institute of Rural Development & Panchayat Raj (NIRD) campuses at Rajendranagar. It is at a distance of about 22 km from Hyderabad International Airport, Shamshabad, 25 km from Secunderabad Railway Station, 16 km from Hyderabad Deccan (Nampally) Railway station, 16 km from Kacheguda Railway Station, and 12 km from Imlibun/Mahatma Gandhi Bus Station.
22. You are expected to make your own transport arrangements to reach the Academy. Ola, Uber, Meru, Skycab etc are available at the Airport/Railway/Bus Stations and throughout the city. Both the Agricultural College and the Rajendranagar alighting points are about one-and-a-half kilometers away from NAARM. Auto rickshaws are available for hire at Rajendranagar to reach the NAARM Hostel. You may visit our website @ <https://www.naarm.org.in> for further details.


➤ Your address, while at this Academy will be

Your Name

Scientist Probationer, 113th FOCARS
ICAR-National Academy of Agricultural Research Management (NAARM), Rajendranagar,
Hyderabad 500 030
Tel: 040-24581370/330 (NAARM Hostel)

Further details can be obtained from the Course Directors.

This is issued with the approval of the Director, NAARM.


07.07.21
(Vivek Purwar)

Chief Administrative Officer (SG)